राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1480/2012/अलवर.
1. अपील संख्या – 1481/2012/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', अलवर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जय टायर्स, ट्रांसपोर्ट नगर, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
कोई नहीं ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 160 व 246/आरवेट/2010–11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 05.12.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–'अ', अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया है।

2. इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों में ट्रेड डिस्काउण्ट्स (क्रेडिट नोट) प्राप्त होना दर्शाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेशों में उक्त ट्रेड डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से रिवर्स कर एवं तदनुसार ब्याज का आरोपण किया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

लगातार................2

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण आदेश दिनांक	ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि	आरोपित		
				कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7
1480/12	2007–08	29.03.2010	21,30,962	2,66,370	2,39,733	5,32,740
1481/12	2008–09	11.02.2011	20,28,498	2,53,562	70,997	5,07,124

4. प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से स्वीकार की जाकर, कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये अपीलें पेश की गई हैं।

5. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधियों हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारियों से ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर व ब्याज का आरोपण किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में **'विक्रय मूल्य'** को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :–

(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

लगातार..............3

8. वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वायस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थी के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी की अपीलें स्वीकार कर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं है तथा ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि पर आरोपित किये गये करारोपण को अपास्त किया गया है :—

A. **(2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—'बी' उदयपुर;**

B. **(2012) 33 टैक्स अपडेट 270 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—'सी' जोधपुर बनाम मैसर्स मिर्चूमल इलेक्ट्रोनिक्स;**

C. **(2012) 34 टैक्स अपडेट 117 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—जालोर बनाम मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार;**

D. **टैक्स डाइजेस्ट वॉल्यूम—1 पार्ट—1 पेज 31 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य; एवं**

E. **(2014) 40 अपडेट 203 सहायक आयुक्त, वृत—ए, भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर**

9. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

20/10/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष